भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 888
दिनांक 11.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

दूषित पेयजल से ग्रसित क्षेत्र

888.# श्री नीरज डांगी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में दूषित जल संबंधित रोगों व संक्रमण के मामलों की संख्या का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि के दौरान दूषित पेयजल पीने के कारण से राज्य-वार और क्षेत्र-वार कितनी मौतें हुईं;
(ग) क्या सरकार द्वारा दूषित पेयजल से होने वाले रोगों से ग्रसित क्षेत्रों की पहचान की गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) दूषित पेयजल से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करने वाले क्षेत्रों में नागरिकों के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) से (घ): भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति के लिए प्रावधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों की भागीदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण घरों में नल के पानी तक सुविधा बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.8%) ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब

तक, 07.12.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत लगभग 10.53 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 07.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.76 करोड़ (71.51%) परिवारों के घरों में नल जल की आपूर्ति होने की सूचना मिली है।

जेजेएम के तहत सुरक्षित पेयजल का प्रावधान प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित करते समय रासायनिक संदूषकों से प्रभावित बसावटों में रहने वाली जनसंख्या को 10% महत्व दिया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जल गुणवत्ता संबंधी मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइप द्वारा जलापूर्ति स्कीमों की योजना बनाएं और उन्हें कार्यान्वित करें।

ऐसी बसावटों में सुरक्षित जल स्रोत पर आधारित पाइपगत जलापूर्ति स्कीम की आयोजना, कार्यान्वयन और उसे प्रारंभ करने में समय लग सकता है, इसलिए केवल अंतरिम उपाय के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष रूप से आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित करने की सलाह दी गई है ताकि प्रत्येक परिवार को उनकी पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जा सके। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग का अधिदेश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना और स्वच्छता लाना है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में पेयजल के संदूषण के चलते मामलों की संख्या या मृत्यु की संख्या का कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू) और राज्य सरकारें जल जनित रोगों सहित 33 से अधिक महामारी-प्रवण रोगों के लिए एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आईडीएसपी) के माध्यम से देश में रोग निगरानी का संचालन कर रही हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचित किया है कि रोग संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर फीडबैक को संबंधित राज्यों और जिलों के साथ साझा किया जाता है ताकि उन क्षेत्रों में आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके जहां जलजनित बीमारी की सूचना प्राप्त होती है। निगरानी तंत्र शुरुआती बढ़ते चरण में प्रकोप का पता लगाने में मदद करता है। प्रकोप की जांच की जाती है और स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारी के आगे प्रसार को नियंत्रित करने और रोकने के लिए समय पर उचित उपाय किए जाते हैं।

एमओएच एण्ड एफडब्ल्यू ने यह भी सूचित किया है कि "भारत में आर्सेनिसोसिस की खोज, निवारण और प्रबंधन" के लिए तकनीकी दिशानिर्देश तथा "राष्ट्रीय फ्लोरोसिस निवारण तथा नियंत्रण कार्यक्रम" के संशोधित दिशानिर्देशों को प्रभावित राज्यों के साथ साझा किया गया है। इसके अतिरिक्त, रोग लक्षणों के प्रसार और आर्सेनिसोसिस तथा फ्लोरोसिस के निवारण के लिए सूचना, शिक्षा तथा संचार (आईईसी) प्रभावी राज्यों के साथ साझा किए गए हैं।

*****